कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

दुर्लभ वन्यजीव सेण्डबोआ की तस्करी में शामिल 02 अपराधी को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल के द्वारा 2 साल की सश्रम सजा व 5-5 हजार रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई

प्रेस विज्ञप्ती (**41/26,** दिनांक **07.07.2026)**

माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल के द्वारा दिनांक 29-06-2026 को दुर्लभ वन्यजीव सेण्डबोआ की तस्करी के 10 साल पुराने अपराध क्रमांक 59/2016 दिनांक 22-08-2016 में आरोपी अमन वामने पिता हरीराम वामने व वरूण विश्वकर्मा पिता स्व. बल्लू प्रसाद विश्वकर्मा निवासी भोपाल को 2 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश भोपाल व थाना क्राईम ब्रांच भोपाल को प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 22-08-2016 को राहुल नगर झुग्गी वस्ती मंदिर के पास मेन रोड में मेनिट के पास से दो संदेहियों को घेराबन्दी कर पकड़ा तथा उन दोनों का नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम अमन बामने पिता हरी राम बानने उम्र 23 साल निवासी किराये का मुकेश का मकान राहुल नगर झुग्गी बस्ती थाना कमला नगर भोपाल तथा दूसरे ने अपना नाम वरुण विश्वकर्मा पिता स्व. बब्बू प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 22 साल निवासी दुर्गा नगर थाना चूना भट्टी भोपाल बताया। जिसने हाथ में कपड़े की थैली जिसे स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के शासकीय सेवकों के द्वारा चेक किया जिसमें एक दुर्लभ वन्यजीव सेण्डबोआ जीवित अवस्था में था जिसे क्राइम ब्रांच के द्वारा जप्त कर विधिवत कार्यवाही कर उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण क्रमांक 59/2016 दिनांक 22-08-2016 दर्ज किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से क्राइम ब्रांच के अलावा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के 03 शासकीय सेवक भी अभियोजन कार्यवाही में साक्षी के रूप में शासन का ठोस पक्ष रखा गया, साथ ही प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक अधिकारियों के द्वारा की गई ठोस पैरवी महत्वपूर्ण उपलब्धी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल